


बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

सं०सं० - 17/विविध 1-81/2016-489(17)/स्वा० डा० सुबोध कुमार सह-  
प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गये समादेश  
याचिका संख्या 15916/2013 में दिनांक-16.05.2014 एवं अवमाननावाद संख्या 2460/2014 में  
दिनांक 03.12.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में तत्कालीन पदस्थापन स्थान राजकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया से दिनांक-12.03.2015 को विरमित होकर नालंदा चिकित्सा  
महाविद्यालय, पटना में दिनांक 14.03.2015 के पूर्वाहन में योगदान किया गया।

उपर्युक्त के आलोक में डा० सुबोध कुमार, सह-प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग को राजकीय  
चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया से स्थानांतरित करते हुए दिनांक-14.03.2015 के प्रभाव से नालंदा  
चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-17/विविध 1-81/2016-489(17)

पटना, दिनांक- 30/6/16


प्रतिलिपि :-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले०एवंह०) वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०)  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, नालंदा/प्राचार्य, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया एवं संबंधित  
चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।